

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बैधित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे साविधा हो।



ग्राम : यूनीयरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्टरी : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,

जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4354

दिनांक: ०७/०१/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध श्री रामनाथ सिंह महाविद्यालय गोरमी, भिण्ड (07527-286337) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि., ग्वालियर।
(0751-2442828)

(संयोजक)

(2) प्रो. आर.के. तिवारी, भौतिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
(3) डॉ. एस.डी. सिसोटिया, उपाचार्य, पुस्तक अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधारों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, गांधिंति शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुपत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेक्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त नियारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय द्वयां उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः बिरत्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड दररुप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्बगठन किया जायेगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिन छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रबाली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को ठी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देव होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक नियारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

राम

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सनकर एवं व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व
कि छिसी अब्द विषयिकारी के नाम से।
तम्भवित विषय पर यदि पूर्व में पञ्च
व्यवहार दुआ हो तो पञ्च क्रमानक हठ दिनाक
अवश्य लिखा जावे जिससे उपर्योग हो।



ग्राम : गूलीवलिंगी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

फ्रॅम्यूल:एफ/सम्बद्धता/2009/५४२३

दिनांक: 3.05.12

//संशोधित सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध श्री रामनाथ सिंह महाविद्यालय गोरमी, भिण्ड (07527-286337) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाए प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) घो. राजीव जैन, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (0751-2442828)
- (2) घो. आट.के. तिवारी, भौतिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. एस.डी. सिसोदिया, उपचार्य, पुरातत्त्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (4) डॉ. रेणु श्रीवास्तव, प्राचार्य, गोस्टन कॉलेज, ग्वालियर।

(संयोजक)

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडीएस तथा पिछ्ले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति भय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की बिनुकियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएं अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त विधीनिरत समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन १७ दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देवी के लिए महाविद्यालय द्वयं उत्तरदायी होगा। निरीक्षण सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय ०३ माह में निरीक्षण बर्ही करता है तो समिति द्वयं निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड द्वयरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्यात ही निरीक्षण समिति का पुर्जमित्र किया जावेगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देवा अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यरूप अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्राचार्याली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के लदस्यों को ठी.ए. / ठी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

3 मई 2013
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधीनिरत कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण १५ दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

PdL
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के बान से ही किया जाए व
कि किसी अन्य पाठ्यकाटी के बान से।
सम्बोधित विवरण पर यादि पूर्ण तो पर
व्यवहार कुआ हो तो यह क्रांतक एवं दिलोक
अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्रन्थ : शूलीवर्ती
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्टरी : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/संबद्धता/2012/ 4324


दिनांक 3.5.12

// सूचना //

प्राचार्य श्री रामनाथ सिंह महाविद्यालय, गोरमी, भिण्ड में बी.ए. एवं बी.एस-टी. में
सत्र 2012-13 में सीट संख्या वृद्धि करने हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा
निम्नलिखित समिति का गठन किया है :-


1. प्रो. जे.एन. गौतम, कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर। (संयोजक)
2. प्रो. डी. एन. गोस्वामी, विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
3. प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर।

समिति से अनुरोध है कि प्रकरण में विचार कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कष्ट
करें।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहा.-कुलसचिव (सम्ब.)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संगठन पत्र व्यवहार कुलसंचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के बाम से ही लिखा जावे व
कि किसी अन्य पदाधिकारी के बाम से।
सम्बोधित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र
व्यवहार दुःख से तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जाये जिससे सुनिश्च हो।



ग्राम : गृहीतर्किंठी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसंचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 5089

दिनांक: 18.6.12

//संशोधित सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध श्री रामनाथ लिंगमंडल महाविद्यालय, गोरक्षी, शिष्ट (01527-28629) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए.-अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, अर्थशास्त्र, सामाजिकशास्त्र, आपा., इतिहास, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत बी.ए.सी-द्वितीय वर्ष, (आपा. फिजिक्स, कैमेस्ट्री, जूलोजी, वाट्टी, गणित), एम.ए.-पूर्वर्धि हिन्दी साहित्य, पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमोंविषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएं प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेदन 27(10) के अन्वयत निम्नानुसार समिति का ग्रन्थ किया है :-

(1) प्रो. बाय.के. जैसवाल, आचार्य, जैव रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(संयोजक)

(0751-2442841)

(2) प्रो. ए.के. हल्ले, आचार्य, रसायन विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(3) प्रो. एस.के. शुक्ला, आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(4) डॉ. ओ.पी. बुधौलिया, शासकीय के.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, धरोहर राशि, गांधित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉक, प्राप्तिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुपाति प्रमाण-पत्र, भवन, ग्रीष्म परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडीव्ऎल तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉक की वियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएं अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से यार्पक स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधायित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जगा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जगा करने का उत्तरदायित निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति ग्रन्थ का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही करता है तो समिति स्वयं विरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति ग्रन्थ हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जगा करने होगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुरुषगत निरीक्षण किया जायेगा। परिवेदन 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त विवादों को प्रतेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यता अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्राचार्यली लेकर जार्ये तथा महाविद्यालय की वर्तमानियति से निरीक्षण समिति को अनुगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. डी.ए. मानदेव महाविद्यालय द्वारा देव होगा।

3 mm 13

कुलसंचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धायित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसंचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसंचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसंचिव (सम्बद्धता)